



**जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26-12-20**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा बाटा शोरूम में रुपयो का गबन करने वाला 01 नफर वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार ।**

**दिनांक 26-12-2020**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में वाँछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना पर दिनांक: 26/12/2020 को वैष्णो देवी मन्दिर स्टेशन कट थाना क्षेत्र कोतवाली नगर गाजियाबाद से पुलिस टीम द्वारा एक 01 नफर वाँछित अभियुक्त, जो बाटा शू स्टोर का मैनेजर रहते हुए स्टोक व नगदी में हेराफेरी करने वाला सौरभ आईच पुत्र श्री शंकर आईच को गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 837/2020 धारा 420/408 भादवि0 पंजीकृत है।

**अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं 582ए अम्बेडक रोड थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद स्थित बाटा शू स्टोर पता में दिनांक 09/03/2020 को मैनेजर के पद पर नियुक्त हुआ था। उपरोक्त स्टोर में दिनांक 28/09/2020 को कम्पनी की आडिट में नगदी/स्टोक कुल रुपये 63,096 रुपये कम पाये गये थे। जिसमे कम्पनी द्वारा मुझे हिदायत देकर मेरी सैलरी से उक्त रकम की भरपायी की जा रही थी। मैं पुनः लालच में आ गया था। कम्पनी द्वारा दिनांक 24/12/2020 को पुनः आडिट कराये जाने पर 5,98,747 रुपये का स्टोक तथा 24,080 रुपये की नगदी कम पायी गयी। जब मुझे पता चला कि कम्पनी ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है। तो मैं भागने की फिराक में था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। साहब मुझसे गलती हो गयी है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

सौरभ आईच पुत्र श्री शंकर आईच निवासी ला जुम वार्ड नं0 03 पोस्ट व थाना मार्धेरिता हिन्सुखिया आसाम हाल पता म0नं0 283 जे ब्लाक सैक्टर 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम जिला गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0 /8372020 धारा 420/ 408भादवि0 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

**गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 सचिन कुमार तोमर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. है0का0 पूनम सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
4. का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण:-**

निल



## **थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण कर 2 अभियुक्तों को चोरी गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा दिनांक 24/12/20 को भोपुरा कुटी से मोटर साईकिल चोरी की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को चोरी गयी मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया ।

दिनांक 25.12.20 को समय 22.00 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान सिकन्दरपुर कट के सामने से दो अभियुक्तगण (1) मिलन पुत्र राजू नि० म० नं० 10 जवाहरनगर रोहटा रोड थाना टीपीनगर मेरठ (2) निशान्त पुनिया पुत्र सुनील पहलवान नि० डालमपुर थाना रोहटा मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से थाना हाजा पर पंजीकृत मु० अ० सं० 516/20 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मोटर साईकिल रजि० नं० UP 14 DR 4912 बरामद हुई ।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- (1) मिलन पुत्र राजू नि० म० नं० 10 जवाहरनगर रोहटा रोड थाना टीपीनगर मेरठ
- (2) निशान्त पुनिया पुत्र सुनील पहलवान नि० डालमपुर थाना रोहटा मेरठ

### **अभियुक्त से बरामदगी -**

अभि० गण के कब्जे से 1 अदद मोटर साईकिल रजि० नं० UP 14 DR 4912 सम्बन्धित मु० अ० सं० 516/20 धारा 379 भादवि

### **अपराधिक इतिहास अभियुक्त**

1. मु० अ० सं० 516 /20 धारा 379, 411 थाना टीला मोड़ गा० बाद

अभि० गण के अन्य आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।



## **चैकिंग अभियान के दौरान 02 अभि०गण को मादक पदार्थ व 03 अदद चोरी की बैटरी सहित किया गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 25.12.20 को अभि०गण 1. महेन्द्र रावत 2.मोनू को मछली गोदाम हरवंश नगर के सामने हल्का चौकी सिहानी चुंगी क्षेत्र से कुल 79 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम ,चोरी की गयी 03 अदद बैटरी सहित समय 16.50 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

### **अपराध कारित करने का तरीका:-**

दिनांक 25.12..20 को चैकिंग अभियान के दौरान चौकी सिहानी चुंगी क्षेत्र में मछली गोदाम हरवंश नगर के सामने मेरठ को जाने वाले रोड पर धूकना मोड की ओर से 02 लडके पीले रंग की एक्टिवा स्कूटी पर आते दिखाई दिये पुलिस चैकिंग को देखकर स्कूटी वापिस मोडने लगे कि पुलिस द्वारा त्रीवता से क्रमशः महेन्द्र व मोनू उपरोक्त दोनो को पकड लिया तलाशी पर स्कूटी से अभि० महेन्द्र के कब्जे से 39 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम 02 अदद बैटरी व मोनू के कब्जे से 40 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम व 01 अदद बैटरी बरामद हुई तीनो बैटरी व नशीले पाउडर के बारे में पुछने पर बताया कि हम दोनो ने इस स्कूटी पर जाकर बैटरी अलग-अलग स्थानों से गाडिया,स्ट्रीट लाईट,ई रिक्शा से चोरी की थी व नशीले पाउडर की हम पुडिया बनाकर बेचते है चोरी की बैटरी के खरीददार दिल्ली से रेडी वाले हिण्डन पर आते है उन्हे बेचते है स्कूटी के कागजात तलब किये तो दिखाने में कासिर रहे जिसे अन्तर्गत धारा 207 MV ACT सीज किया गया

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1.महेन्द्र रावत पुत्र महरबान सिंह रावत नि० म.न० डी 602 आश्रम रोड नन्दग्राम थाना सिहानी गेट गा०बाद
- 2.मोनू पुत्र सन्तराम नि० डी 1/23 दीनदयालपुरी नन्दग्राम आश्रम रोड थाना सिहानी गेट गा०बाद

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

- 1.मु०अ०सं० 2011/20 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम महेन्द्र रावत थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
2. मु०अ०स०-2012/20 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम मोनू थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
3. मु०अ०स० 2013/20 धारा 414 भादवि बनाम महेन्द्र रावत व मोनू

### **बरामदगी**

- 1.अभि० महेन्द्र रावत से बरामद 39 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर
- 2.अभि० मोनू से बरामद 40 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाउडर
- 3.चोरी की गयी 03 अदद बैटरी क्रमशःअभि० महेन्द्र रावत से बरामद बैटरी न० (1) AMARON BLACK (2) EXIDE SOLAR TUBULAR व अभि० मोनू से बरामद EAST MAN 15500 SERIES CHETAK मय एक अदद स्कूटी नं० UP 14 DQ 1150 सीज शुदा अन्तर्गत धारा 207 MV Act



## **थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 1 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।**

दिनांक 26.12.2020

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 26.12.2020 को समय 11.30 बजे ताहिर पुर कट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि० 1. क्रान्ति पुत्र अशोक नि० खोडी कालोनी शान्ति शान्ति समिति रोड न० 64 थाना नन्द नगर दिल्ली उम्र 19 वर्ष को मय 48 पब्बे देशी शराब हरियाणा मार्का अवैध अवैध सहित गिरफ्तार किया गया है।

### **अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभि० क्रान्ति उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरे पास अवैध शराब है, जिसे बेचकर मैं रुपये कमाता हूँ। अभि० क्रान्ति उपरोक्त से शराब रखने के लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं है जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु०अ०स० 1556/20 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम क्रान्ति उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. क्रान्ति पुत्र अशोक नि० खोडी कालोनी शान्ति शान्ति समिति रोड न० 64 थाना नन्द नगर दिल्ली उम्र 19 वर्ष

### **पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-**

1. मु०अ०स० 1556/20 धारा 60/63 आबकारी अधि० एक्ट बनाम क्रान्ति उपरोक्त

### **बरामदगी का विवरण:-**

48 पब्बे देशी शराब अवैध हरियाणा मार्क



**थाना मधुबन पुलिस द्वारा अमानत में खयानत कर 1,37,818 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों को मय 1,37,818 रुपये सहित गिरफ्तार किया**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के प्रवेक्षण में थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0 -41/2020 धारा 420/406/427 भादवि के अनावरण हेतु थाना मधुबनबापूधाम पुलिस द्वारा ग्राम मोरटा के पास से आज दिनांक 26.12.2020 को अभियुक्तगणों 1- आरिफ पुत्र वारिस निवासी ग्राम मथौली थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी हाल पता सुनील फोजी का मकान मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद 2- नईस पुत्र अलीबक्श निवासी मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद 3. बादशाह उर्फ फहीम पुत्र हनीफ निवासी मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद को मय 1,37,818 रुपये सहित गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –**

- 1- आरिफ पुत्र वारिस निवासी सुनील फोजी का मकान मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद
- 2- नईम पुत्र अलीबक्श निवासी मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद।
- 3- बादशाह उर्फ फहीम पुत्र हनीफ निवासी मिसलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद

### **अपराध करने का तरीका –**

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त आरिफ ने बताया कि मैं लगभग 6 माह से अनिल कुमार पुत्र मांगे निवासी हरसांव गाजियाबाद के यहां गाड़ी चलता हूँ मैं उपरोक्त गाड़ी से मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा अन्य जगहों से माल देकर बिल के मुताबिक कैश लाता हूँ दिनांक 24.12.2020 को मेरे मन में लालच आ गया था जिस कारण मैंने अपने साथियों को बुलाकर सारा कैश लगभग 137,818 मय कार्टून के उनको देकर गाड़ी को बालाजी मंदिर मधुबनबापूधाम छोड़कर भाग गया था।

### **बरामदगी का विवरण –**

- 1- 1,37,818 रुपये (सम्बन्धित मु0अ0स0 -41/20 धारा 420/406/427 भादवि)

